


5-2-20 वकील अमरपल उपस्थित वकील
बादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना- पत्र
दिनांक 23-1-14 पर वकील प्रतिवादी
द्वारा कोर्ट आपस जाहीर व करते
हुए कथन किया कि मदी बादी को
पुनः जबीन द्वारा पेश करने की
अनुमति प्रदान की जाती है प्रतिवादी
को भी पुनः काउन्टर क्लैम पेश
करने अथवा जबीन द्वारा पेश करने
की अनुमति प्रदान की जावेगी
वाइ. पत्र व काउन्टर क्लैम को
वर्तमान स्तर पर रखा गया कि या जव
वा कोर्ट आपस नहीं है। अमरपल
के अस्पष्ट पर मनन किया प्रभावली का
अवलोकन किया जाकर अमरपल
को पुनः वर्तमान स्थिति अनुसार
जबीन वाइ पत्र पेश करने की वकील
के साथ वाइवादी व काउन्टर क्लैम
को वर्तमान स्तर पर रखा गया कि या
जाल है प्रभावली नम्बर से कान
की जाकर वाइ लक्कीला दारिदल
दफ्तर है।


(कपिल थकुर)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

